न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2013 (उदयपुर आर्डर)

शम्भूलाल पिता दौलतराम जी ब्राहमण, निवासी बारा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा क्रमांक/राजस्व/2013/453 दिनांक 20.2.2013

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय **दिनांक 10–10–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20–02–2013 को प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्राम ओडवाडिया की आराजी नंबर 403 रकबा 0.3800 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ /सरकारी भवनों के लिए भूमि आरक्षित घोषित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–10–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 10–10–2013 को हुई, जब पटवारी ने बताया कि कथित जमीन आरक्षित दर्ज कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट का मौके पर कब्जा होकर उसकी फसल खड़ी है तथा किसी भी भूमि को आरक्षित करने का अधिकारी केवल जिला कलक्टर को धारा 92 के तहत प्राप्त है। एस.डी.ओ. को भूमि आरक्षित करने का अधिकार नहीं है। भूमि आरक्षित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई आपत्तियां आमन्त्रित नहीं की गयी है अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय को नजर अंदाज कर उक्त आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा भूमि पूर्व की भांति पुनः बिलानाम बीड दर्ज की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही उनका कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय का आरक्षण आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में विवादित आराजी नंबर आराजी नंबर 403 रकबा 0.3800 हैक्टर भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ/सरकारी भवनों के लिए आरक्षित घोषित किया है। अपीलान्ट इस भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताता है तथा इस आधार पर अपने आपको नियमन का पात्रता बताता है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस पेश किये गये हैं, जिससे भी उसका कुछ वर्षो का ही कब्जा सिद्ध होता है, निरन्तर पुराना कब्जा साबित नहीं होता है। यदि उसका कब्जा मान भी लिया जाये तो भी वह बतौर अतिक्रमी है और अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–02–2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested